



झारखण्ड का अपना दैनिक

झारखण्ड उजाला

सच आप तक

रांची, मंगलवार, 18 फरवरी 2025

पृष्ठ - 12

मूल्य - 2 रुपये

रांची संस्करण

वर्ष- 04

अंक -241

RNI No. JAHIN/2021/82144

www.jharkhandujala.com

आज का विचार

झारखण्ड उजाला

विवेक कुमार
शाना प्रगारी, केटेडरी

मीटिंग वा इंटर की परीक्षा में 56,317 परीक्षार्थी लंगे थे। प्रबंधन के सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी पर रहें थीं बैठक नजर। परीक्षा को लेकर विष्णुदाम, शतिष्ठीव व कदाचत भूत परीक्षा के लिए शुभ्र श्वामा, रविंग बाटर के लिए गोपनीय काट रहे 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर बनी सम्भाली।

झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 33वीं बैठक आयोजित

बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर बनी सम्भाली।

झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा आयोजित पिछली बैठकों में आजीवन सजा काट रहे कैदियों के रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए मामलों सहित कुल 103 मामलों की समीक्षा की गई।

.

झारखण्ड उजाला, संवाददाता।

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कारागार में आयोजित झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर



सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित नए मामलों के साथ-साथ वैष्य कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया जिनमें झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली बैठकों में एआईजी तुषार रंजन गुप्ता, जेलर श्री मो०० नरेश सहित अन्य अधिकारी मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गुह, कारा एवं अपादा प्रबंधन विभाग श्रीमती वदाना दादेल, डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक झारखण्ड श्री सुदूरशन प्रसाद मंडल, अपर विधि परामर्शी विधि विभाग श्री नीरज कुमार, प्रवेशन प्रदाता चंद्रमोली, एआईजी तुषार रंजन गुप्ता, जेलर श्री मो०० नरेश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों के आलोक में राज्य के

गुप्ता, कारा महानिरीक्षक झारखण्ड श्री सुदूरशन प्रसाद मंडल, अपर विधि परामर्शी विधि विभाग श्री नीरज कुमार, प्रवेशन प्रदाता चंद्रमोली, एआईजी तुषार रंजन गुप्ता, जेलर श्री मो०० नरेश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति तथा न्यायालयों संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल

द्वारा दिए गए मंतव्य की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं अधिकारियों के बीच रिहाई हेतु प्रस्तावित सभी मामलों पर विचारप्राप्त कुल 37 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय दिया गया। इस दौरान में डिल कैप लगाकर विचाराली और सजायपता कैदियों का स्वास्थ्य जाव भी किया गया।

रिहा हुए कैदियों को सरकार द्वारा संचालित

जिलों : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों का सामाजिक, अर्थिक एवं परिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन जरूर करें। मुख्यमंत्री ने कारा होटवार, रांची में जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत का आयोग किया गया। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में लिखित 10 मामलों की सुनाई दी गयी और वार बैठियों को जेल अदालत का लाभ देने हुए कारा मुक्त (रिहा) किया गया। जेल अदालत में सिद्ध कुशवाहा, विवक्षी कुमार, पन्ना किरूँ और राकेश अहीर को रिहा किया गया। बताते चले कि जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत में बैठियों को लीगल एंड विलिनके बारे में भी जानकारी दी गयी। वहीं बैठियों की समस्याओं को सुना गया और उनसे आवेदन लेकर उक समस्याओं का तुरंत निराकरण किया गया। इस दौरान में डिल कैप लगाकर विचाराली और सजायपता कैदियों का स्वास्थ्य जाव भी किया गया।

रिहा हुए कैदियों को सरकार द्वारा संचालित कृत्याणकारी योजनाओं से जिम्मेदारी है।

सुनाई दी गयी जेल अदालत, चार बैठियों को किया गया रिहा

रांची। झालसा के निदेशनुसार विरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार, रांची में जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत का आयोग किया गया। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में लिखित 10 मामलों की सुनाई दी गयी और वार बैठियों को जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत में सिद्ध कुशवाहा, विवक्षी कुमार, पन्ना किरूँ और राकेश अहीर को रिहा किया गया। जेल अदालत में सिद्ध कुशवाहा, विवक्षी कुमार, पन्ना किरूँ और राकेश अहीर को रिहा किया गया। बताते चले कि जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत में बैठियों को लीगल एंड विलिनके बारे में भी जानकारी दी गयी। वहीं बैठियों की समस्याओं को सुना गया और उनसे आवेदन लेकर उक समस्याओं का तुरंत निराकरण किया गया। इस दौरान में डिल कैप लगाकर विचाराली और सजायपता कैदियों का स्वास्थ्य जाव भी किया गया।

रिहा हुए कैदियों को सरकार द्वारा संचालित

जिलों : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों का सामाजिक, अर्थिक एवं परिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन जरूर करें। मुख्यमंत्री ने कारा होटवार, रांची में जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत का आयोग किया गया। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में लिखित 10 मामलों की सुनाई दी गयी और वार बैठियों को जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत में सिद्ध कुशवाहा, विवक्षी कुमार, पन्ना किरूँ और राकेश अहीर को रिहा किया गया। जेल अदालत में सिद्ध कुशवाहा, विवक्षी कुमार, पन्ना किरूँ और राकेश अहीर को रिहा किया गया। बताते चले कि जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत में बैठियों को लीगल एंड विलिनके बारे में भी जानकारी दी गयी। वहीं बैठियों की समस्याओं को सुना गया और उनसे आवेदन लेकर उक समस्याओं का तुरंत निराकरण किया गया। इस दौरान में डिल कैप लगाकर विचाराली और सजायपता कैदियों का स्वास्थ्य जाव भी किया गया।

रिहा हुए कैदियों को सरकार द्वारा संचालित

जिलों : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों को सामाजिक, अर्थिक एवं परिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन जरूर करें। मुख्यमंत्री ने कारा होटवार, रांची में जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत का आयोग किया गया। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में लिखित 10 मामलों की सुनाई दी गयी और वार बैठियों को जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत में सिद्ध कुशवाहा, विवक्षी कुमार, पन्ना किरूँ और राकेश अहीर को रिहा किया गया। जेल अदालत में सिद्ध कुशवाहा, विवक्षी कुमार, पन्ना किरूँ और राकेश अहीर को रिहा किया गया। बताते चले कि जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत में बैठियों को लीगल एंड विलिनके बारे में भी जानकारी दी गयी। वहीं बैठियों की समस्याओं को सुना गया और उनसे आवेदन लेकर उक समस्याओं का तुरंत निराकरण किया गया। इस दौरान में डिल कैप लगाकर विचाराली और सजायपता कैदियों का स्वास्थ्य जाव भी किया गया।

रिहा हुए कैदियों को सरकार द्वारा संचालित

जिलों : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों को सामाजिक, अर्थिक एवं परिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन जरूर करें। मुख्यमंत्री ने कारा होटवार, रांची में जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत का आयोग किया गया। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में लिखित 10 मामलों की सुनाई दी गयी और वार बैठियों को जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत में सिद्ध कुशवाहा, विवक्षी कुमार, पन्ना किरूँ और राकेश अहीर को रिहा किया गया। जेल अदालत में सिद्ध कुशवाहा, विवक्षी कुमार, पन्ना किरूँ और राकेश अहीर को रिहा किया गया। बताते चले कि जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिरकत में बैठियों को लीगल एंड विलिनके बारे में भी जानकारी दी गयी। वहीं बैठियों की समस्याओं को सुना गया और उनसे आवेदन लेकर उक समस्याओं का तुरंत निराकरण किया गया। इस दौरान में डिल कैप लगाकर विचाराली और सजायपता कैदियों का स्वास्थ्य जाव भी किया

अधिवनी वैष्णव को रेल मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं?



करण कुमार सिंह, स्वतंत्र प्रतकार

विश्वास हो चला है कि पर्वी-त्योहारों और छुट्टियों के समय टिकट खरीदने से लेकर अपने गतिविधि तक रेल मंत्री पर फेशन करेगा ही करेगा। बड़ी खबर यह भी है कि रेलवे स्टेशन पर या पटरी पर चलती ट्रेन के साथ किन्तु बड़ी दुर्घटना हो जाये, रेल मंत्री कभी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होंगे। बड़ी खबर यह भी है कि दुर्घटना होने पर मुआवजे या जांच का ऐलान तुरंत ही करें वाले रेल मंत्री अपना इस्तीफा देना तो दूर कभी इस्तीफे की पेशकश तक नहीं कोगे।

देखा जाये तो रेल मंत्री पद से अधिवनी वैष्णव को इस्तीफा मांगा जा रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि बात सिफर नहीं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की ही नहीं है। आप रेलवे को समग्र रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि कोई बड़ा सुधार कर पाने में अधिवनी वैष्णव पूरी तरह विफल रहे हैं। अगर महाकुंभ की ही बात कर लें तो भले रेल मंत्री ने प्रवागराज के लिए हजारों ट्रेनें चलाने के दावे किये हों लेकिन आप देशभर में सेवे करा लें तो आपें बिप्रवागराज के लिए ज्यादातर लोगों को ट्रेनों में टिकट मिले ही नहीं और अधिकारियों से मदद मांगनी पड़ती है जोकि शर्मनाक है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के जांच के अदेश तो दे दिये गये हैं लेकिन सवाल उठाता है कि घटने की वेबसाइट और ऐप पर भले टिकट मिले ही नहीं और अधिकारियों से मदद मांगनी पड़ती है जोकि शर्मनाक है।

